न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3524–दो/12 विरूद्ध आदेश, दिनाक 22–8–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण कमांक 109/अ–6 (अ)/11–12.

शिवचरण वल्द बाबूलाल पटैल
निवासी ग्राम सिरोंजा तहसील व जिला सागर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

शंकरलाल वल्द भबूते आदिवासी
निवासी ग्राम सिरोंजा तहसील व जिला सागर म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 3524–दो/12 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला सागर के प्रकरण कमांक 109/अ–6(अ)/11–12 में पारित आदेश दिनांक 22–8–2012 के विरूद्ध दायर हुआ है।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । प्रकरण कमांक 24/बी–121/11–12 में आदेश दिनांक 8–12–11 के माध्यम से कलेक्टर सागर द्वारा तहसीलदार से इस बाबत् प्रतिवेदन मांगा गया कि वाद भूमि जिसे निगराकार अपने भूमिस्वामित्व की तथा गैर निगराकार म0 प्र0 शासन की होना बता रहे हैं, के संबंध में निगराकार का दावा बन्दोबस्ती त्रुटि के कारण है या नहीं । इस संबंध में अपर तहसीलदार सागर द्वारा उनके प्रकरण कमांक 47अ/6(अ)/07–08 में अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से भेजे गए प्रतिवेदन दिनांक 11–1–12 से संबंधित भूमि खसरा नंबर 59/7, 59/8, 59/9 पर त्रुटिवश निगराकार के पिता बाबूलाल का नाम दर्ज होना बताते हुए, अभिलेख सुधार कर इस भूमि को शासकीय दर्ज करना प्रस्तावित

किया गया । तदुपरान्त अपर कलेक्टर ने अपने प्रकरण कमांक 109/अ–6(अ)/11–12 में उभयपक्ष एवं पटवारी को आहूत कर सुना, तथा अभिलेखों एवं अनुविभागीय अधिकारी की अनुशंसा से प्राप्त तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन को विचार में लेते हुए वाद भूमि को शासकीय घोषित करने का "अंतिम" आदेश पारित किया ।

3/ प्रकरण में मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं को तर्क का मौका दिया गया । गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपने लिखित तर्क प्रस्तुत किए । निगराकार अधिवक्ता ने तर्क के अवसर पर दो आवेदन दिए । एक, व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत कुछ अभिलेखों को विचारण हेतु मान्य करने का, जिस पर गैर निगराकार अधिवक्ता ने इस स्टेज पर उनकी ग्राह्यता के संबंध में आपत्ती की । दूसरा आवेदन धारा 32 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत यह लिखते हुए निगराकार अधिवक्ता ने दिया कि वे गैर निगराकार अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं कि अपर कलेक्टर का आक्षेपित आदेश दिनांक 22–8–12 एक अंतिम आदेश है, अतः यह निगरानी आयुक्त/अपर आयुक्त के समक्ष अपील किए जाने हेतु वापस की जाए ।

4/ उपरोक्त वस्तुस्थिति एवं तर्कों के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि अपर कलेक्टर सागर का आक्षेपित आदेश दिनांक 22–8–12 एक अंतिम आदेश है, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ आयुक्त/अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष अपील के माध्यम से अपना पक्ष करने की गुंजाइश निगराकार के पास थी । अतः कनिष्ठ स्तर पर जाए बगैर वरिष्ठ न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष सीधे निगरानी में आ जाना उपयुक्त नहीं है । अतः, प्रकरण के गुणदोष में जाए बगैर यह निगरानी इसी स्टेज पर खारिज की जाती है ।

प्रकरण समाप्त ।
पक्षकार सूचित हों ।
रिकार्ड वापस हो ।
दा0द0 हो ।

6.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर